प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 12.01.2023**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक गाडी डीसीएम जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 26 रास पशु बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक गाडी डीसीएम नं0 UP 17BT 0355 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 26 पशु बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुस्तकीम पुत्र अख्तर निवासी नूनाबडी थाना बडागांव जनपद सहरानपुर।

बरामदगी का विवरण-

- एक गाडी डीसीएम न0 UP17 BT 0355
- क्रूरतापर्वूक भरे हुए 26 पशु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2- का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।

3- का0 158 मंजीत कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 12/01/2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/20 धारा 417/467/468/471/307 भादवि व 63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित 5000 रूपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 171/20 धारा 417/467/468/471/307 भादवि व 63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित 5000 रूपये के इनामी अभियुक्त रवि साहू को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि साहू पुत्र प्रदीप साहू निवासी न्यू राजेन्द्र कालोनी भिवानी चुंगी रोहतक थाना शिवाजी कालोनी जिला रोहतक हरियाणा।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि साहू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 171/20 धारा 417/467/468/471/307 भादवि व 63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 104/21 धारा 174 ए भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-उ0नि0 श्री राम मूर्ति थाना कोतवाली बागपत।

3-है0का0 506 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत।
4- का0 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत।
5-का0 25 राजीव थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 12.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 22/23 धारा 436/427 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.01.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तगण कपिल पुत्र रामफल निवासी इन्द्रा कालोनी निवाडा थाना कोतवाली बागपत व एक अज्ञात व्यक्ति ने वादिया के घर के छप्पर में आग लगा दी जिससे वादिया की करीब 20 हजार रुपये की नगदी, भूसा, गेंहू जल गये तथा वादिया का पति नरेन्द्र व 03 गाय आग में जलने से घायल हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 22/23 धारा 436/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 22/23 धारा 436/427 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01

अभियुक्त अरुण को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र संजय निवासी इन्द्रा कालोनी निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 कैलाश नाथ थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 12.01.2022**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 18/23 धारा 323/435/506/307 भादवि में वांछित प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.01.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री अमित पुत्र भोपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.राजू पुत्र बलजीत, 2.नितिन उर्फ मोटा पुत्र सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर निवासीगण पटटी चौधरान कस्बा व थाना बडौत व एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पुराली में आग लगा दी व उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 18/23 धारा 323/435/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 307 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 18/23 धारा 323/435/506/307 भादवि मे वांछित प्रकाश में आये एक अभियुक्त सन्नी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 08-01-2023 को 01 अभियुक्त नितिन उर्फ मोटा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सन्नी पुत्र सोहनपाल निवासी पटटी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिह थाना बडौत जनपद बागपत।
2- है0का0 44 विजयपाल सिह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 12-01-2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 32/23 धारा 354A/354D/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 32/23 धारा 354A/354D/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव उर्फ काला उर्फ सचिन पुत्र बबलू निवासी ग्राम बामनौली थाना दौघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना बडौत।
2-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत।
3-म0का0 768 अन्जू लांबा थाना बडौत।
4-म0हो0गा0 802 रीतू थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 12.01.2023**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 29/23 धारा 323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.01.2023 को थाना बडौत पर वादिनी ने सूचना दी कि उसके पति सुतेन्द्र, देवर प्रदीप, देवर मंगलसैन पुत्रगण जयभगवान व ससुर जयभगवान ने वादिया व उसकी भाभी व बहन के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 29/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना व प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 29/23 धारा 323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-

1-सतेन्द्र पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जिला बागपत।

2.-प्रदीप पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- **उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत।**
2- **है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत।**
3- **है0का0 22 जितेन्द्र सिंह थाना बडौत।**

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर **दिनाँक 12.01.2023**

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 223/22 धारा 323/504/302/201/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 17.09.2022 को थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद पर वादी श्री तेजपाल पुत्र गंगू सिंह निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-गौरव पुत्र रविन्द्र कुमार, 2.बिट्टू उर्फ प्रदीप पुत्र ओमकार निवासीगण चमरावल थाना चांदीगनर जनपद बागपत, 3.सतेन्द्र व 4.सतीश पुत्रगण बिशन निवासीगण नेकपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र तेजवीर उर्फ जोनी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट

कर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 616/2022 धारा 323/504/302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग का घटनास्थल थाना चांदीनगर क्षेत्र में होने के कारण दिनांक 14.10.2022 को विवेचना थाना चांदीनगर पर स्थानान्तरित की गई तथा थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 223/22 धारा 323/504/302/201/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 223/22 धारा 323/504/302/201/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों गौरव व बिट्टू उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-सतीश उर्फ लीलू पुत्र बिशन त्यागी निवासी नेकपुर साबितपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

2-सतेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र बिशन त्यागी निवासी नेकपुर साबितपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह।

2.है0का0 161 दिनेश कुमार।

3.का0 556 इल्यास अहमद।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर   दिनाँक 12.01.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अमित कुमार पुत्र राजप्रकाश निवासी ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2. है0का0 161 दिनेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 12.01.2023**

थाना दोघट पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 04 वांरटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-बुद्धू पुत्र रतन निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-गजेन्द्र पुत्र फेरु निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

3-सलीम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-विनोद पुत्र श्रीचन्द्र निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

3-है0का0 334 मुनी देव थाना दोघट जनपद बागपत।

4-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट   दिनाँक 12-01-2023

थाना दोघट पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ पीटर पुत्र संजीव निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्की उर्फ पीटर का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 580/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 170/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जपनद बागपत।

3-मु0अ0स0 287/2020 धारा 380/411 भादवि थाना दोघट जनपद। बागपत।

4-मु0अ0स0 289/2020 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

5-मु0अ0स0 248/21 धारा 307/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

6-मु0अ0स0 254/21 धारा 25/27/3 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

7-मु0अ0स0 107/2022 धारा 380/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

8-मु0अ0स0 247/2022 धारा 386/507 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

9-मु0अ0स0 254/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

10-मु0अ0सं0 10/2023 धारा 3/10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0श्री हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

3-का0 492 अनुज कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 12.01.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 523/21 धारा 452/323/307/325 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 14/12/2021 को थाना खेकड़ा पर वादी मनोज कुमार पुत्र श्री मदनपाल प्रजापति निवासी सुन्हैड़ा थाना खेकड़ा ने लिखित तहरीर दी कि उसका छोटा भाई ललित कुमार रात्रि में अपने घेर में अकेला सो रहा था। सुबह घेर में वादी व वादी का भाई सोनू पहुंचे तो देखा कि वादी के भाई ललित को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में ईट से मुँह पर गम्भीर चोट मार दी जिससे

वह गंभीर रुप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 523/21 धारा 452/323/308 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 308 भादवि का विलोपन कर धारा 307/325 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 523/21 धारा 452/323/307/325 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुधीर उर्फ बिट्टू पुत्र बलजोर सिंह निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना खेकड़ा बागपत।
2. है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकड़ा बागपत।
3. का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक- 12-01-2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 09/23 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 जोडी सूट व 02 जोडी मौजे बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 12.01.2023 को वादी उमरइलाही पुत्र अख्तर अली निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर की दुकान से अभियुक्ता सोनिया पुत्री स्व0 अय्यूब निवासी सब्दुल गढी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा 02 जोडी सूट व 02 जोडी मौजे चोरी कर भागने की कोशिश करते हुए वादि तथा गस्त कर रही पुलिस द्वारा अभियुक्ता को पकडकर थाने पर लाया गया। थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 जोडी सूट व 02 जोडी मौजे बरामद हुए है। इस संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनिया पुत्री स्व0 अय्यूब निवासी सब्दुल गढी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 02 जोडी सूट।

- 02 जोडी मौजे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सि0अहीर
2-का0 44 संजीव कुमार थाना सि0 अहीर
3-म0का0 205 जूली गिरी थाना सि0 अहीर
4-का0 1076 विकास यादव थाना सि0 अहीर
5-का0 594 सरफ़राज खान थाना सि0 अहीर
6-का0 963 प्रभात यादव थाना सि0 अहीर

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 12.01.2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 08/2023 धारा 365 भादवि में गुमशुदा लडके को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 08/2023 धारा 365 भादवि में गुमशुदा लडके को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा थाना सिंघावली अहीर पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2- है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।